राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **23/2015**

कृष्णा देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह उम्र 40 वर्ष जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादीया

– ब ना म –

1. सरती देवी पत्नी श्री श्योचन्द
2. उम्मेद सिंह पुत्र श्री श्योचन्द
3. रामनिवास पुत्र श्री श्योचन्द
   जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. कैलाश देवी पत्नी श्री अशोक कुमार जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना जरिए शाखा प्रबंधक बुहाना हाल भारतीय स्टेट बैंक बुहाना।
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर एवं भू अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..... प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव – अभिभाषक – वादीया
2. श्री मुकेश चौधरी – अभिभाषक – प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से
3. श्री महेश सांखला – अभिभाषक – प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या 23/2015
उनवानी कृष्णा देवी बनाम सरती देवी आदि
निर्णय दिनांक 06.10.2021
GCMS NO. 2015/00284

दिनांक :–06–10–2021

–: निर्णय :–

वादीया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. वाके ग्राम भिर्र स्थित भूमी खसरा.न. 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 की 1/2 हिस्सा की खातेदारी की भूमी थी। प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 से वादीया ने जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2006 को उक्त भूमी प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा खरीद कर विक्रय मूल्य का भुगतान कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं काबिज हो गई एवं बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज हैं।
2. वादीया ने प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 से उनका 1/2 हिस्सा दिनांक 03.08.2006 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं विक्रय पत्र की प्रतिलिपी पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करने हेतु देकर नामान्तकरण फीस का भुगतान कर दिया। वादीया का पति भारतीय सेना में नौकरी करता हैं वादीया भी अपने पति के साथ रहती हैं व अपने बच्चो की पढाई करवाती हैं जो फसल कास्त करने लाटने काटने की गॉव में आते हैं वैसे भी पंजिकृत विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज करने का उनका दायित्व हैं क्योकि पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का कानूनी दायित्व राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारीयो का हैं।
3. वादीया ने अपने विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2006 की नकल पटवारी हल्का को दे दी एवं अपने बच्चो के पास अपने पति के नियुक्ति स्थल पर चली गई पति को भी सेना में सेवारत होने से कई कई दिन में छुट्टी मिलती हैं व बच्चो की पढाई के कारण वह नही आ सकती लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही के कारण विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2006 का नामान्तकरण वादीया के नाम दर्ज नही किया साथ ही पटवारी हलका ने प्रतिवादी स. 3 से आपराधिक षड़यन्त्र बना रखा था प्रतिवादी स. 3 व पटवारी हल्का ने जान बुझकर वादीया के नाम इन्तकाल दर्ज नही किया क्योकि वे दोनों षड़यन्त्र पूर्वक वादीया की भूमी को खुर्द–बुर्द करना चाहते थे।
4. प्रतिवादी स. 3 ने प्रतिवादी स. 5 के शाखा प्रबन्धक से एवं पटवारी हलका से सांठ गाठ कर ली तथा वादीया के खरीद शुद्धा रकबा को हड़पने व खुर्द बुर्द करने की नियत से प्रतिवादी स. 3 को व पटवारी हल्का को यह ज्ञान होते हुए भी की [illegible] प्रतिवादी स. 3 ने वादीया को पंजिकृत विक्रय पत्र के द्वारा बेचान [illegible] उसी भूमी को प्रतिवादी स. 3 ने अपनी बताकर व [illegible] प्रतिवादी स. 5 के शाखा प्रबंधक से [illegible] भूमी प्रतिवादी स. 3 की नही हैं उसने वादीया [illegible] है उसको प्रतिवादी स. 5 के यहॉ प्रतिवादी स. 3 ने पटवारी से मिलकर अपनी बताकर रहन रख कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

उस पर ऋण प्राप्त कर राजकीय राशि का बातोर ऋण प्राप्त कर उक्त राशि को प्रतिवादी स. 5 व प्रतिवादी स. 3 ने पटवारी से मिलकर हड़प ली हैं जबकि वादीया इस भूमी की दिनांक 03.08.2006 को ही विक्रय पत्र पंजिकृत होते ही खातेदार बन गई थी जमाबन्दी एवं राजस्व रिकार्ड जो तहसीलदार, भू–अभिलेख जो उप पंजियक भी हैं उन्ही के पास एवं विधिवत कब्जा में होती हैं उसमें प्रतिवादी स. 5 के हक में रहन रखने की कूटरचना कर प्रतिवादी स. 5 के हक में इन्तकान भर दिया जबकि यह वादीया की खरीदशुद्धा खातेदारी की कब्जा शुद्धा भूमी है इस प्रकार प्रतिवादी स. 5 द्वारा प्रतिवादी स. 3 को दिया गया ऋण एवं प्रतिवादी स. 5 के हक में रखी गई रहन की प्रविष्टिया वादीया के हक अधिकारो पर शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं तथा प्रतिवादी स. 3 व 5 एवं पटवारी हल्का का यह कृत्य आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता हैं इसके लिए आपराधिक मुक्दमा अलग से किया जा रहा हैं।

5. वादीया वाद वर्णित भूमी की विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2006 पंजिकृत होते ही खातेदार बन गई थी प्रतिवादी स. 3 का एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 का इस भूमी से कोई सम्बंध सरोकार शेष नही रहा था ना तो प्रतिवादी स. 3 को इस भूमी को रहन रखने का अधिकार था ना ही प्रतिवादी स. 5 को इस भूमी पर प्रतिवादी स. 3 को ऋण देने का अधिकार था प्रतिवादी स. 3 व 5 का यह आपराधिक कृत्य हैं इस भूमी ख.न. 881 रकबा 0.91 हैं के बाबत ना तो प्रतिवादी स. 3 के कोई अधिकार शेष थे ना ही प्रतिवादी स. 5 के हक में कोई अधिकार सृजित हुये हैं इस प्रकार यह भूमी वादीया की है। वह अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं अपने नाम इस भूमी का नामान्तकरण दर्ज करने की अधिकारी हैं।

6. प्रतिवादी स. 3 व 5 ने साजिस कर ली हैं एवं भूमी वादीया की खरीद शुद्धा हैं प्रतिवादी स. 3 को प्रतिवादी स. 5 ने जो ऋण दिया है वह अब प्रतिवादी स. 3 वादीया के पति ने प्रतिवादी स. 3 व प्रतिवादी स. 5 को कहा कि यह भूमी उसकी हैं ना तो प्रतिवादी स. 3 को ऋण लेने का हक था ना ही प्रतिवादी स. 5 को ऋण देने का अधिकार था तो प्रतिवादी स. 3 ने ऋण भुगतान करने से मना कर दिया व प्रतिवादी स. 5 के शाखा प्रबन्धक ने भी धमकी दी की यदि प्रतिवादी स.3 ऋण का भुगतान नही करेगा तो वह वादीया की भूमी को कुर्क करवाकर निलाम करवाकर ऋण की राशि वसूल करेगा जबकि प्रतिवादी स. 3 तो दिनांक 03.08.2006 को ही यह भूमी वादीया को बेचान कर विक्रय मूल्य प्राप्त कर विक्रय पत्र पंजिकृत करवा चुका था तो उसके कोई भी अधिकार सरोकार शेष नही थे ना ही वह इस भूमी को रहन बेचान कर सकता था ना ही प्रतिवादी स. 5 इसको रहन रख सकता था बल्कि प्रतिवादी स. को इस भूमी के बाबत कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं इस प्रकार प्रतिवादी स. 3 द्वारा प्रतिवादी स. 5 के हक में रखी गई रहन व रहन सम्बन्धि समस्त प्रविष्टिया वादीया के हक अधिकारो पर शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
खुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

7. वाद वर्णित भूमी की वादीया 1/2 हिस्सा की खातेदार विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2006 के द्वारा बन चुकी हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वादीया का नाम इस भूमी की खातेदारी में दर्ज नही हुआ हैं तथा अब उसके बाद प्रतिवादी स. 3 व प्रतिवादी स. 5 ने पटवारी से साज कर आपराधिक कृत्य कर इस भूमी को प्रतिवादी स. 3 का गलत नाम दर्ज होने की आड में प्रतिवादी स. 5 के हक में रहन रख दी जिससे वादीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता है। **अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके ग्राम भिर्र तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर में वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के स्थान पर 1/2 हिस्सा की खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के हक में किया गया रहन वादीया के हक अधिकारों पर शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर इस भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 का नाम हजफ कर वादीया को 1/2 हिस्सा की खातेदार घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीया का 1/2 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम भिर्र स्थित भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर वादीया के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में दखल नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 5 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपना 1/6 हिस्सा बताकर उसके यहां रहन रखा है उसके आधार पर इस भूमि से कोई वसूली नहीं करें एवं वादीया के उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त में दखल नहीं करें ऐसा कृत्य ना स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवाये।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नकल वाद पत्र भेजकर तारीख की सूचना दी गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 सरकार पक्ष है। जिसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3, 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 को जब के सी सी दिया गया था उस समय उसने निरीक्षण के वक्त अपना कब्जा बताया था। मौके पर मौजूद अन्य लोगों से भी पता किया तो यही बताया गया था। जिस वक्त ऋण दिया गया था प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार था इसलिए ऋण दिया गया था। जवाब के अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 का ऋण वसूल होने तक भूमि के रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाब में कथन किया है कि जब विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया था उस समय वादीया में 70000 हजार रूपये बाकी थे। बकाया रूपयों का चुकारा नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 5 के यहां से के सी सी ऋण लिया था। जवाब के अन्त में कथन किया कि वादीया का वाद मय हर्जे खारिज किया जावे। तत्पश्चात दिनांक 11–02–2017 को प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 दोनों में आपसी राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 3 भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर भूमि आज दिनांक 11–02–2017 से 2 माह यानि 10–04–2017 तक रहनमुक्त करवा दुंगा तथा उसके उपरान्त वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि का विधिवत तरीके से नामान्तकरण दर्ज करवा सकती है। अन्त में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निस्तारण डिक्री किये जाने की कृपया करें।

वादीया की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072 खाता संख्या 261 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2065–2068 खाता संख्या 226 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064 खाता संख्या 228 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2057–2060 खाता संख्या 157 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत 2053–2056 खाता संख्या 164 प्रदर्श–5 राजस्व ग्राम भिर्र तहसील बुहाना व विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में वादीया स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 12–01–2017 पेश किया गया।

उभय पक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प गाम पंचायत भिर्र पंचायत समिति बुहाना में पेश होने पर वाद पत्र पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीया ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से राजस्व ग्राम भिर्र तहसील बुहाना स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर में उनका हिस्सा सम्पूर्ण 1/2 क्रय किया है तथा उसी अनुसार क्रय की दिनांक से वादीया काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के यहां से अपने हिस्से का केसीसी कार्ड बनवाने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के यहां रहन होने से क्रयशुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज नहीं [illegible] वादीया अपनी क्रयशुदा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर [illegible] करवाने की विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने राजीनामा [illegible] कर दिया है कि वादीया को उसकी क्रयशुदा भूमि का खा[illegible] कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 5 का सम्पूर्ण ऋण चुकता कर खाता रहनमुक्त करवा दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला–झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

अधिवक्ता वादीया ने बहस के अन्त में कथन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 के आधार पर वादीया को उसकी क्रयशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ राजीनामा होने से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 5 के यहां से लिया गया ऋण सम्पूर्ण जमा करवा दिया है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 205 में दर्ज भूमि रहनमुक्त हो चुकी है। वादीया को उसकी क्रयशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 को इस संबंध में अब कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र व जवाब प्रतिवादी संख्या 3 व 5 तथा राजीनामा प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 11–02–2017 के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादीया को उसकी क्रयशुदा भूमि विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र व राजीनामा प्रतिवादी संख्या 3, विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 तथा हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 205 राजस्व ग्राम भिर्र के आधार पर वादीया का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है। चूंकि वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से वाके ग्राम भिर्र तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी संवत 2065–2068 के पुराना खाता संख्या 183 नया खाता संख्या 226 के खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर में दर्ज उनका 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 से क्रय किया है। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 5 से केसीसी ऋण लिये जाने के कारण वादग्रस्त भूमि विवादित रही है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 205 में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के यहां से रहनमुक्त हो चुकी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 का अब कोई हित निहित नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 3 भी राजीनामा पेश कर चुका है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र व राजीनामा प्रतिवादी संख्या 3, विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 तथा हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 205 राजस्व ग्राम भिर्र के आधार पर वादीया का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.10.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादीया का वाद पत्र स्वीकार कर वाके ग्राम भिर्र तहसील बुहाना जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 205 के हाल खसरा नम्बर 881 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

0.91 हेक्टेयर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर इनके स्थान पर इनके 1/2 हिस्से की भूमि का वादीया को विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बुहाना को निर्णय की प्रति सहित तहरीर जारी हो। प्रकरण में राजीनामा होने से वादीया का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अस्वीकार किया जाता है। विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 इस वाद पत्र का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत **भिर्र** पंचायत समिति बुहाना में दिनांक **06–10–2021** को मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री(अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

कृष्णा देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह उम्र 40 वर्ष जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..........वादीया

– ब ना म –

1. सरती देवी पत्नी श्री श्योचन्द
2. उम्मेद सिंह पुत्र श्री श्योचन्द
3. रामनिवास पुत्र श्री श्योचन्द
   जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. कैलाश देवी पत्नी श्री अशोक कुमार जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना जरिए शाखा प्रबंधक बुहाना हाल भारतीय स्टेट बैंक बुहाना।
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर एवं भू अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा अ0धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नम्बर :– 23/2015
निर्णय दिनांक :– 06–10–2021

वादीया की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 3, 5 की ओर से **श्री मुकेश चौधरी, श्री महेश सांखला एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06–10–2021** को **सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और घोषित किया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested

"वादीया का वाद [illegible] ग्राम भिर्र तहसील बुहाना जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 205 के हाल खसरा नम्बर 881 रकबा 0.91 हेक्टेयर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर इनके स्थान पर इनके 1/2 हिस्से की भूमि का वादीया को विक्रय पत्र दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

03–08–2006 प्रदर्श–6 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बुहाना को निर्णय की प्रति सहित तहशीर जारी हो। प्रकरण में राजीनामा होने से वादीया का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अस्वीकार किया जाता है। विक्रय पत्र दिनांक 03–08–2006 प्रदर्श–6 इस वाद पत्र का अभिन्न अंग रहेगा।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **06–10–2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:06:58 IST
Reason: SelfAttested